न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

अ0न0 – 11/2017

उनवान : –

सुन्दर पत्नि दुनीराम जाति जाट निवासी गुसाईयाना व अन्य —अपीलान्ट

बनाम

राजकौरी बेवा श्योचन्द जाति जाट निवासी गुसाईयाना व अन्य —रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट व प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम व प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी

उपस्थिति :– श्री कृष्ण गर्ग अपीलान्ट

श्री मदनलाल सोनी रेस्पोडेण्ट

निर्णय दिनांक 04.11.22

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रामजीलाल व गणपत पि0 लेखू दो भाईयों की चक 3 एनटीआर में 30–08 बीघा व चक 1 बीआरडब्ल्यू में 13–16 बीघा बहिस्सा बराबर पुख्ता अलॉट शुदा कृषि भूमि हुआ करती थी जिसकी समस्त किस्त संयुक्त तौर पर दाखिल करने पर दोनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार हो गये थे। मौजुदा अपील चक 1 बीआरडब्ल्यू के मु0न0 94 के किला न0 1, 6 ता 9, 10, 12 ता 15, 17 ता 18, 22 ता 24 की कुल 13 बीघा 16 बिस्वा वाद भूमि की है। उक्त वाद भूमि रामजीलाल व गणपत दोनों भाईयों के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज थी। रामजीलाल के तीन बेटे दुनीराम, ताराचन्द, श्योचन्द उर्फ शिवनन्द हुये। अपीलांट दुनीराम के वारीसान है जबकि रेस्पोडेन्ट ताराचन्द व श्योचन्द के वारिसान है। रामजीलाल का भाई गणपत कुवारा फौत हुआ था जिसकी सेवा चाकरी दुनीराम पुत्र रामजीलाल जो अपीलांट 01 का पति तथा अपीलांट 2 ता 8 के पिता है के द्वारा की जाती थी। गणपतराम ने दुनीराम की सेवा चाकरी से खुश होकर दोनों आराजी यथा चक 3 एनटीआर व चक 1 बीआरडब्ल्यू व रौही गुसाईयाना की भूमि की एक वसीयत दिनांक 07.02.1966 को दुनीराम के पक्ष में लिखवाकर सब रजिस्टार सिरसा के यहां तस्दीक करवा दी थी। इस प्रकार गणपत की मृत्यु के बाद उसके जायजाद का हकदार अपीलांट का पिता दुनीराम हुआ व आराजी काश्त करता रहा। लेकिन अपीलांट के पिता दुनीराम भोला भाला किस्म का होने के कारण तथा ताराचन्द व श्योनन्द चालाक प्रवृति का होने के कारण गुपचुप तरीके से गणपतराम के हिस्से की आराजी का नामान्तरण रामजीलाल वल्द लेखू के नाम नामान्तरण सं0 24 दिनांक 16.10.1977 अमल दरामद करवा लिया। जिसकी सुचना ... वारिसानों को नहीं लगने दी और ना ही उक्त नामान्तरण के संबंध में ... पंचायत नेठराना ने कोई सूचना या नोटिस दुनीराम को दी। इस प्रकार नामान्तरण सं0 24 ... अवैध खिलाफ कानून होने के कारण काबिल अपास्तनीय है। क्योंकि ... से पूर्व अपीलान्ट को नोटिस या सुचना नहीं दी गई थी। इसलिए वे समय अवधी में नामान्तरण की अपील नहीं कर सके थे और अब नामान्तरण की जानकारी होते ही नकले लेकर उक्त अपील प्रस्तुत कर रहे है जिसके लिए कानूनन मियाद धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र व शपथ प्रस्तुत किया

(राजस्व) हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.05.13 16:17:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

रहा है कि उनकी अपील अन्दर मियाद तसव्वर कर सुना जावें व उक्त ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा दिनांक 16.10.1977 को स्वीकृत नामान्तरण सं0 24 अपास्त फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेण्ट को रिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने पर रेस्पांडेण्ट अधिवक्ता जवाब/आपति अपील के साथ जवाब प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम धारा 5 तथा प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी पेश किये गये।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता अपीलांट ने कथन किया कि उक्त इंतकाल करने से पूर्व अपीलाण्ट को कभी नोटिस या सूचना नहीं दी गई थी। इसलिए वे समयावधि में नामान्तरण की अपील नही कर सके थे और अब नामान्तरण की जानकारी होते ही नकले लेकर उक्त अपील प्रस्तुतः कर रहे है जिसके लिए कानून मियाद धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र व अनुमति के लिए प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी किया पेश गया है। साथ ही अधिवक्ता अपीलांट ने प्रार्थना पत्रों के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया के ना ही ग्राम पंचायत द्वारा किसी भी प्रकार की सूचना अथवा नोटिस प्राप्त हुए लेकिन जब अपीलांट के पिता को नामान्तरण की जानकारी हुई तो उन्होने बिना किसी देरी के न्यायालय हाजा में 1993 में एक वाद प्रस्तुत कर दिया था। अपीलांट के पिता दुनीराम अपनी मृत्यु तक उक्त मुकदमा की पैरवी स्वंय करते थे जिसकी अपीलांट को जानकारी नहीं थी। अपीलांट के पिता की मृत्यु 07.02.2016 को होने पर अपीलांट ने कागजात सम्भाले तो उन्हे राजस्व वाद होने की जानकारी हुई जिस पर वे राजस्व वाद में मृतक के स्थान पर जायज वारिसान के रूप में कायम मुकाम है। तथा उक्त प्रकरण के संबंध में अपीलाण्ट को अपील होने की कानूनी जानकारी नहीं मिल पाई थी और उक्त दावा की सदभावी ट्रायल चलती रही है। लेकिन अब अपीलांट को अपील की कानूनी जानकारी मिलते ही पटवारी हल्का से नकले हासिल कर उक्त उपील प्रस्तुत की है, इस प्रकार उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने व अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपने जवाब के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलांट द्वारा अपील में किये गये कथन सही नहीं है। उक्त वाद भूमि का नामान्तरण ग्राम पंचायत नेठराना में जांच आदि के बाद तस्दीक हुआ है। दूनीराम की मृत्यु के बाद अपीलांट लगभग 40 वर्षो के बाद तथाकथित फर्जी वसीयत के आधार अपील करने के किसी प्रकार से कानूनी अधिकारी नहीं है। अपीलांट के द्वारा किया गया कथन कि दुनीराम को नामान्तरण की जानकारी होने पर दुनीराम के द्वारा ... मे विवाराधीन दावा 226/16(168/1993) बअनुवारी दुनी... प्रस्तुत किया तो दुनीराम का ... अपनी मृत्यु दिनांक 07.02. अपील का अधिकारी 1993 में ही प्राप्त ... दुनीराम की मृत्यु के बाद अपील 2016 तक लगभग 23 वर्षो तक अपील प्रस्तुत ... उक्त दावा में एक राजीनामा दावा 2017 में लगभग 1 साल 7 महिने बाद पेश की गई है। उक्त दावा में एक राजीनामा दावा ... के दिन ही पेश किया गया है जिसमें परिवार के सभी लोग हाजिर हुये है इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.05.13 16:17:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

प्रकार दुनीराम के परिवार अथवा अपीलांट को विवादित नामान्तरण की जानकारी भी 1993 में हो गई थी। रेस्पोडेण्ट द्वारा एक वाद न्यायालय सिविल न्यायाधिश भादरा में कलावती आदि बनाम सुन्दर आदि इस अनुतोष के साथ पेश किया गया जिसमें अपीलांट द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया कि उपरोक्त दावा मियाद बाहर है और वसीयत की जानकारी 1973 को ही उक्त दावा की वादीगण को हो गई। इस प्रकार स्वयं प्रार्थीगण भी जानकारी के तथ्य स्वीकार करते है और कार्यवाही को मियाद बाहर मानते है। माननीय उच्च न्यायालय में डी.बी. सिविल अपील सं0 688/2016 जिसमें उक्त अपीलांट सभी पक्षकार थे जो दिनांक 17.10.2016 को निर्णित हो चूकी है इस प्रकार 1993 में अपील की मियाद प्रारम्भ हो गई थी तथा ना ही अपीलांट द्वारा 1993 से 2016 तक का ऐसा स्पष्ट कारण दिया है कि अपील की मियाद स्वतः ही रूक गई हो इसलिए उक्त अपील मियाद बाधित होने के कारण काबिले खारिज है। अतः अपील अपीलांट खारिज किये जाने का निवेदन है। इस हेतु अधिवक्ता रेस्पॉडेण्ट द्वारा **आरआरटी 2013(1) पेज 61, डीएनजे (राज) 2017 (3) पेज 1054, डीएनजे (राज) 2016 (1) पेज 201, डीएनजे (एस.सी) 2014 पेज 467, आरआरटी 2017 (2) पेज 1355,** नजीरें प्रस्तुत की गई। अंत में रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता ने अपील मियाद बाहर होने के कारण खारीज किये जाने का निवेदन किया।

उभयपक्षकारन अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों व जवाब के साथ–साथ अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का आदर पूर्वक परिशीलन किया गया। हमारे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने से ज्ञात हुआ कि उक्त अपील नामान्तरण तस्दीक के लगभग 40 वर्ष के बाद प्रस्तुत की गई है, इसलिए अपील के साथ मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र व 96 सीपीसी प्रार्थना प्रस्तुत किया है। सीपीसी के आदेश 41 नियम 3ए के उपनियम (2) में यह प्रावधान है कि अपील का निस्तारण करने से पूर्व मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जायेगा। जिसके संदर्भ में आरबीजे –2006(13) पेज –78 में माननीय उच्च न्यायालय ने भी इस मत की पुष्टि की है व इसी मत की पुष्टि में निम्न न्यायिक दृष्टांतों में की गई है–

1. **आरबीजे–2019(26)पेज–276 (राज.एच.सी)**
2. **आरआरटी–2020(1)पेज–352 (राजस्व मंडल)**
3. **आरबीजे–2019(548)पेज–548 (राज.एच.सी)**
4. **14–1–2020 आरआरडी पेज –21**

इस प्रकार उपरोक्त दृष्टान्तों में इस मत [illegible] गई है कि अपील का निर्णय करने से पूर्व सीपीसी के आदेश [illegible] के [illegible] मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को निस्तारित किया जाना चाहिए। इसलिए [illegible] के निर्णय से पूर्व उपरोक्त विवेचानुसार अपील में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम व 96 सीपीसी का निर्णय पारित किया जाना आवश्यक है। वकील अपीलांट ने अपने तथ्यों में बताया है कि अपीलांट के पिता द्वारा लगभग नामान्तरण के 16 वर्षो के बाद न्यायालय हाजा में एक वाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.05.13 16:17:37 IST
Reason: SelfAttested

...ती (राज.)
...-हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

प्रस्तुत किया था। न्यायालय हाजा में विचाराधीन दावा 226/16(168/1993) बअनुवारी दुनीराम बनाम श्योनन्द आदि का अवलोकन भी किया गया प्रस्तुत प्रकरण दुनीराम के द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88–53 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। जिससे साबित है कि अपीलांट के पिता को नामान्तरण दर्ज होने की जानकारी 1993 में ही थी। अपीलांट ने अपने किसी भी दस्तावेजातों में ये स्वीकार नहीं किया है कि उनके पिता उनसे अलग रहते थे जिससे उन्हे उक्त वाद अथवा नामान्तरण तस्दीक की जानकारी नही हुई थी। नामान्तरण तस्दीक के लगभग 40 वर्षो बाद व वाद प्रस्तुति के लगभग 23 वर्षों के बाद अपील प्रस्तुत करने का ये कारण कि अपीलांट को अपील की कानूनी जानकारी नही थी, पर्याप्त नहीं है। अपीलांट के पिता द्वारा प्रस्तुत वाद न्यायालय 226/16(168/1993) बअनुवारी दुनीराम बनाम श्योनन्द आदि न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमे हक हिस्सा की घोषणा होनी है तथा साक्ष्य सुनवाई के बाद पक्षकारान का हक हिस्सा निर्धारित होना है जिसकी निरन्तर सुनवाई न्यायालय हाजा में जैरकार है। इस प्रकार यह तथ्य कतई स्वीकार योग्य नहीं है कि अपीलांट अथवा इनमें से किसी भी सदस्य को नामान्तरण अथवा वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरण दर्ज नहीं होने की जानकारी नहीं थी क्योकि मद संख्या 10 में अपीलाण्ट स्वयं स्वीकार कर आये है कि निर्धारित अवधि में इन्तकाल की अपील नहीं कर सके। अतः यह कथन अपीलांट का न्यायोचित प्रतित नहीं होता है। अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत अपील नामान्तरण तस्दीक के लगभग 40 वर्षों अथवा 14,600 दिनों के बाद प्रस्तुत की गई है। न्यायालय को उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम धारा 5 व प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी किसी भी तरीके से अपीलांट के पक्ष में प्रतित नहीं होते है। इस हेतु न्यायालय हाजा द्वारा निम्न नजीरों का अवलोकन किया गया–

1. 2010(2) आरआरटी 801 (एस.सी) में 3 दिन के विलम्ब को उचित कारण नहीं दर्षाने के कारण मियाद बाहर मानकर खारिज कर दिया, हस्तगत प्रकरण में भी नहीं दर्शाया गया है।
2. 1997 आरआरडी 350 स्टेट बनाम सुखदेव में राज्य सरकार की 63 दिन देरी से बिना औचित्य स्पष्ट किये पेश अपील को मियाद बाहर मानकर खारिज कर दिया।
3. 2002 आरआरडी 632 केन्द्र सरकार बनाम बिजलाल व अन्य में केन्द्र सरकार द्वारा 83 दिनों की देरी के अपर्याप्त एवं समुचित कारण नहीं होने के कारण अपील अन्दर मियाद नहीं मानते हुए खारिज कर दिया।

इस प्रकार उपरोक्त विवेचानुसार व वर्णित दृष्टांतों का परिशीलन करने पर ये स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा अपील देरी से प्रस्तुत करने के लिए दिये गये कारण पर्याप्त विश्वसनीय एवं संतोषजनक कारण नहीं होना पाया गया ना ही अपीलांट द्वारा किये गये कथन साबित होते है चूंकि नामान्तरण तस्दीक अवधि तथा न्यायालय हाजा में दायर दावा की अवधि लगभग 40 वर्ष तक लम्बी होने के कारण मियाद अधिनियम बिन्दू को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। धारा 5 मियाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.05.13 16:17:37 IST
Reason: SelfAttested

कारी (राजस्व)
जिला-हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

अधिनियम व प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी में प्रस्तुत तथ्य अपूर्ण है क्योंकि प्रस्तुत अपील 2017 में पेश की गई जो लगभग 40 वर्षो के पश्चात पेश की गई। अपील में धारा 5 के प्रदत प्रावधानों में यह देखा जाना आवश्यक है कि इतनी लम्बी अवधि से अपील पेश किये जाने का पर्याप्त हैतुक दर्शाया जावे। अपीलाण्ट द्वारा इतने अधिक वर्षो से हुई देरी का कोई पर्याप्त, संतोषजनक व विश्वसनीय कारण नहीं दर्शाया गया है। प्रकरण में गुण अवगुण पर निर्णय करने से पूर्व मियाद अधिनियम को इस प्रकार से पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दिनांक 16.10.1977 के नामान्तरण व उसके पश्चात की गई राजस्व रिकॉर्ड की कार्यवाही को अपील के समरी ट्रायल के माध्यम से निर्णित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः न्यायालय रेसपोडेन्ट द्वारा दिये गये तर्कों से समर्थन रखते हुए व अपीलाण्ट द्वारा अपील को अत्यंत देरी से पेश किये जाने के कोई संतोषप्रद कारण नहीं दर्शाने व अपील अपीलांट मियाद अवधि से बाहर होने एंव कानून की दृष्टि से बलहीन होने के कारण स्वीकार योग्य नहीं होने पर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 04.11.22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुंतला चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.05.13 16:17:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner